

सलेमन पूर्व जमाबंदी के अनुसार ग्राम नैदिलकाडा के खाता सं. 883 में डिनेश पुत्र गौरधन खसरा हि - 1/10, रसाल पत्नी गौरधन खसरा हि 1/5 रामधन पुत्र खसरा हि - 1/2 जाति आर के स्थान पर डिनेश पुत्र गौरधन हि - 1/6 रसाल पत्नी गौरधन हि - 1/6 रामधन पुत्र खसरा - 1/3 व रामचंद्र पुत्र खसरा - 1/3 जाति आर किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट मुलाबिक रिपोर्ट पटवारी के प्रार्थना के नामों की दुरुस्ती किया जाना उचित है जिसमें रामनाथ पुत्र खसरा के शमक पुत्र खसरा से दुरुस्ती का जांच तथा शमक पुत्र खसरा का नाम जोड़कर दुरुस्ती किया जाना उचित है।
 18-X-25
 IIR दिल्ली

तहसीलदार की रिपोर्ट प. 80 की रिपोर्ट व अ. अ. नि. की जांच व सहमतियों की सहमति पत्र के आधार पर दुरुस्ती की आदेशों की प्रती है।

2025
 772

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिबिर-2025" नसीराबाद

दिनांक:- 16-10-25

क्रमांक/ 427

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्बत् के खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
11	5022 में इन्द्राज के कारवा 5022			दुरुस्ती (सह नदी) क्षेत्र खसरा किया जाता है		

क्रमांक :- 5758-59

दिनांक - 16-10-25

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर



प्रतिनिधि :- 1) तहसीलदार नसीराबाद के पास
 2) कोठेस जमाबंदी